

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:-503/17 ((RCMS No. 2017/00538) 18 आयुध अधिनियम 1959 )

गजाधर पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी महमदपुर थाना बालघाट जिला करौली हाल निवासी मकान नं0 263सी, बृन्दावन बिहार नीयर केदारेशवर महादेव आगरा रोड़ जामडौली थाना कानौता जिला जयपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....रैस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थिति:-

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

निर्णय

दिनांक: 16.03.2018

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356-9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधारियों थाना बालघाट जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 52 पर दर्ज है। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली ने दिनांक 29.12.2014 को जारी किये गये आदेश के चरण संख्या 2 में यह दर्ज किया था कि जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान आने की संभावना नहीं है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अपीलान्त इस आदेश से पूर्व से ही आर्मी में मुलाजिम होने के कारण पंजाब राज्य में कार्यरत था और अपीलान्त का परिवार जयपुर में निवास करता था उसने पंचायत चुनाव में कोई भी मतदान नहीं किया और न चुनाव के समय गाँव में आया। अपीलान्त के अनुज्ञापत्र की अवधि दिनांक 31.12.2015 तक थी। अपीलान्त ने आर्म्स एक्ट की शर्तों का कभी भी उलंघन नहीं किया। अपीलान्त ने जानकारी होने पर अपने शस्त्र को दिनांक 09.01.2015 को थाना कानौता जिला जयपुर में जमा करा दिया था। जिसकी रसीद अपीलान्त को दी गयी थी। उसके बाद अपीलान्त को दिनांक 14.11.15 को शस्त्र दे दिया था परन्तु बाद में निलम्बित करने के कारण शस्त्र दिनांक 03.02.2016 को थाना बालघाट जिला करौली में जमा करा दिया था। शस्त्र अभी तक थाने में जमा है। पुलिस अधीक्षक करौली ने दिनांक 25.07.16 को अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंसा की थी क्योंकि दिनांक 09.01.15.15 को अपीलान्त ने शस्त्र अनुज्ञापत्र थाना कानौता जिला करौली में जमा करा दिया था। उनका तर्क है कि स्थानीय अखवार कानौता या नौकरी के निवास पंजाब में वितरित नहीं होने से जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा अपीलान्त को बिना सुने आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को दिनांक 01.01.16 से आगे की अवधि के लिये नवीनीकरण कर अपीलान्त को दिलाये जाने के आदेश थाना बालघाट को दिये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्त ने अपना शस्त्र अनुज्ञापत्र थाने में जमा नहीं कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीनस्थ करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बावजूद हथियार जमा नहीं कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्त ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356-9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक

भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधारियों थाना बालघाट जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्त का शस्त्र क्रम सं0 52 पर दर्ज है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली के पत्रांक 9356 दिनांक 29.12.2014 में यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होगा : के बिन्दु सं0 2 में यह उल्लेख है कि "जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान आने की संभावना नहीं है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।" पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्र क्रमांक 4675 दिनांक 25.07.2016 में अंकित किया है कि थाना अधिकारी बृत्त अधिकारी तथा थाना कानौता जयपुर से जांच कराई गई। शस्त्र अनुज्ञापत्र पत्रावली एवं जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अनुशंसा की जाती है। अपीलान्त ने बाद में अपने शस्त्र को थाना बालघाट में जमा करा दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने तथा पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1657 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्त के क्रमांक 52 अनुज्ञापत्र सं0 2165/96 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त का सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर